न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.87 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 139)	18.03.2024	10.03.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मांगीलाल आ. तुलसीराम जाति धाकड़
निवासी ग्राम पराना, तहसील तालेडा जिला बून्दी।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी मांगीलाल को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 554 / 257, 556 / 258, 584 / 315 कुल रकबा 2.4685 हैक्टेयर वाकेग्राम पराना आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 87 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024 / 139 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर खनन हो चुका है एवं उक्त भूमि पर पत्थर एवं मुक्कसर (बडे पत्थर) डले हुये है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि मांगीलाल आ. तुलसीराम निवासी पराना को दिनांक 26.10.1977 को भूमि खसरा सं. 257 रकबा 6 बीघा एवं खसरा सं. 258 रकबा 6 बीघा वाकेग्राम पराना का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पराना की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 554/257, 556/258, 584/315 कुल रकबा 2.4685 हैक्टेयर पर अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर ''आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर खनन हो चुका है एवं उक्त भूमि पर पत्थर एवं मुक्कसर (बडे पत्थर) डले हुये है। आवंटित भूमि पर गैर खातेदार या वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है, अंकित है। खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि गैर खातेदार का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र तुलसीराम को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 257 रकबा 6 बीघा एवं ख.सं. 258 रकबा 6 बीघा वाकेग्राम पराना (हाल खसरा संख्या 554/257, 556/258, 584/315 कुल रकबा 2.4685 हैक्टेयर) दिनांक 26.10.1977 एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी